रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, बुद्धवार, मई 21, 1997/वैशाख 31, 1918
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 1997/VAISAKHA , 1918

कृषि मन्त्रालय

(पशुपालन और डेयरी विकास)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 1997

का.आ. 405 (अ).—दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के पैरा 20 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश राज्य में तरल दुग्ध के प्रदाय को बनाए रखने और उसमें अभिवृद्धि के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अत: अब, मैं, दुग्ध और दुग्ध-उत्पाद आदेश, 1992 के पैरा 27 के साथ पठित पैरा 20 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ :— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (दुग्ध निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1997 है ।

(2) यह मध्यप्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों पर लागू होगा :—

(क) भिण्ड

(ख) मुरैना

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 1 जुलाई 1997 को प्रभावहीन हो जाएगा :

परंतु इस आदेश की समाप्ति, प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति से पहले की गई या करने से लोप की गई किसी बात के बाबत उसके प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी ।

2. परिभाषाएं :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'नियंत्रण अधिकारी' का अभिप्राय दुध तथा दुग्ध उत्पादन आदेश 1992 के पैरा 13 के अंतर्गत नियुक्त पंजीकृत प्राधिकारी से है ।

(ख) निर्यात से मध्य प्रदेश राज्य में पैरा 1 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में से किसी स्थान के बाहर किसी स्थान को किसी भी रीति से ले जाना या ले आने देना अभिप्रेत है ।

(ग) 'दुग्ध' से गाय, भैंस, भेड़, बकरी का दुग्ध या उसका कोई संमिश्रण अभिप्रेत है चाहे अपरिष्कृत हो या किसी भी रीति से प्रसंस्कृत हो और इसमें पास्चुरीकृत रोगाणु नासित, पुनः संयोजित, सुगंधीकृत, अम्लिकृत, चूर्णीकृत, टोण्ड, डबल टोण्ड, मानकीकृत या सम्पूर्ण मलाईयुक्त दुध है ।

(घ) 'दुग्ध उत्पाद' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण

(2) मखनिया दुग्ध चूर्ण

(3) शिशु दुग्ध आहार

(4) संघनित दुग्ध (मधुरित तथा अमधुरित)

(5) कोटोज छैना (पनीर)

(6) देशी घी , बटर, बटर आयल (किसी भी नाम से जाना जाता हो)

(7) खोया तथा रबड़ी

(8) दुग्ध तथा दूध व्युत्पन्न के प्रयोग से बनी मिठाइयाँ

(9) केसीन

3. **दूध का दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री, व्यवसाय तथा आपूर्ति पर रोक और दूध के निर्यात पर प्रतिबंध**

(क) कोई भी व्यक्ति किसी दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण के लिये दूध का उपयोग नहीं करेगा ।

(ख) कोई भी व्यक्ति (मध्यप्रदेश राज्य के बाहर) दुग्ध और /अथवा दुग्ध उत्पाद का निर्यात नहीं करेगा अथवा कराएगा ।

(ग) कोई भी व्यक्ति दूध अथवा दूध के व्युत्पन्न से बने खोया, पनीर और/अथवा मिठाइयों की बिक्री नहीं करेगा अथवा करवाएगा या खिलाने अथवा विक्रय व्यवसाय या आपूर्ति के प्रयोजन के लिए आपूर्ति नहीं करेगा या बिक्री नहीं करेगा या प्रदाय नहीं करेगा :

परंतु इस खंड की कोई भी बात दूध के उपयोग पर लागू नहीं होगी :—

(1) आइसक्रीम, कुल्फी या कोई अन्य वस्तुओं के विनिर्माण, विक्रय आपूर्ति या प्रदाय के लिए जिसके तैयार करने में खोया और /अथवा रबड़ी का उपयोग नहीं होता,

(2) रक्षा बलों, दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी, नई दिल्ली तथा पंजीकृत सहकारी समितियों/परिसंघों/सरकारी डेयरी संयंत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा दूध की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री, सेवा अथवा आपूर्ति के लिए,

(3) ऐसे अवसरों पर तथा इस प्रकार के शर्तों के अधीन रहते हुए खोया और/या रबड़ी या कोई अन्य दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय, पूर्ति या निर्यात के लिए जैसा कि नियंत्रण अधिकारी द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो,

(4) 1 से 30 अप्रैल 1997 की अवधि के दौरान स्किम्ड दुग्ध चूर्ण, संपूर्ण दुग्ध चूर्ण तथा दैनिक उत्पादन के वास्तविक औसत के 50 प्रतिशत के स्तर तक शिशु दुग्ध आहार के उत्पादन के लिए तथा इन दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण की प्रक्रिया में एक उपोत्पाद के रूप में सफेद मक्खन को तरल दुग्ध में फिर से परिवर्तित करने के लिए ।

4. **प्रदेश की अनुमति, तलाशी, अभिग्रहण आदि का अधिकार**

(1) इस आदेश का अनुपालन करने के उद्देश्य से अथवा अपने आपको संतुष्ट करने के लिए कि इस आदेश का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, नियंत्रण अधिकारी अथवा कोई भी मजिस्ट्रेट अथवा कोई भी पुलिस अधिकारी जिसका दर्जा सहायक उप निरीक्षक से कम न हो अथवा खाद्य एवं पूर्ति विभाग का कोई भी अधिकारी जिसका दर्जा सहायक निरीक्षक से कम न हो अथवा मध्यप्रदेश सरकार का कोई भी राजस्व अधिकारी जिसका दर्जा नायब तहसीलदार से कम न हो अथवा जिसे मध्यप्रदेश सरकार के खाद्य पूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो अथवा नियंत्रण अधिकारी की ओर से प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी।

(क) दूध के निर्यात या किसी दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त या उपयोग के लिए आशयित किसी नौका, मोटर या अन्य यान या

किसी पात्र या मशीनरी या किसी व्यक्ति को रोक सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा ।

(ख) किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी देने तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसी लेखाबहियों या दस्तावेजों को जो उसकी राय में उस आदेश के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत होगी, अभिग्रहण कर सकेगा ।

(ग) किसी स्थान पर या परिसर में किसी दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के साथ-साथ उन पैकेजों, अधिष्टकों, पात्रों या मशीनरी जिसमें दुग्ध या दुग्ध उत्पाद पाए गए हैं या उसके साथ जिससे उक्त दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण किया गया है, या उन पशुओं, गाड़ियों, जलयानों, नौकाओं या अन्य प्रवहनों को जो दुग्ध या दुग्ध उत्पाद ले जाने के लिए प्रयुक्त है, का अभिग्रहण कर सकेगा और उसके पश्चात, उक्त अभिग्रहण किए गए पैकेजों, अधिष्टकों, पात्रों या मशीनरी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सुपरदार' के माध्यम से या अन्यथा आवश्यक सभी उपाय करेगा ।

(2) तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस खंड के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण पर लागू होंगे ।

5. **नियंत्रण अधिकारी के अधिकार :**

नियंत्रण अधिकारी ऐसा अंतरिम आदेश दे सकेगा जो वह मध्य प्रदेश राज्य में दूध की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अभिग्रहण किए गए दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के उपयोग के संबंध में आवश्यक समझे ।

[एफ. नं. 9-10/97-डी.पी.]

पवन रैना, नियंत्रक, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश एवं
संयुक्त सचिव (डेरी विकास)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

ORDER

New Delhi, the 21st May, 1997

S.O. 405 (E) .—Whereas having regard to the factors specified in sub paragraph (2) of paragraph 20 of the Milk and Milk Product Order, 1992, I am satisfied that in order to maintain and increase the supply of liquid milk in the areas specified in sub-paragraph 2 of paragraph 1 of this order, it is necessary to do so.

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub paragraph (1) of paragraph 20, read with paragraph 27, of the Milk and Milk Product Order 1992, I hereby make the following order, namely :

1. **Short title, extent and commencement :**

(1) This order may be called the Madhya Pradesh (Milk Export) Control Order, 1997.

(2) It extends to the following districts of Madhya Pradesh :

(a) Bhind

(b) Morena

(3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette and shall cease to operate on 1st July, 1997:

Provided that the expiry of this order shall not affect the operation thereof in respect of things done or omitted to be done before such cessation of operation.

2. **Definitions : In this order unless the context otherwise requires :**

(a) " Controlling Officer" means the Registering Authority appointed under para 13 of the Milk and Milk Products Order 1992.

(b) Export means take or cause to be taken by any means whatsover, out of any place in the areas specified in sub paragraph 2 of paragraph 1 of this order to any place outside the State of Madhya Pradesh.

(c) Milk means milk of cow, buffalo, sheep, goat or a mixture thereof either raw or processed in any manner and included pasteurized, sterilized, recombined, flavoured, acidified, skimmed, toned, double toned, standardized or full cream milk.

(d) "Milk Product" means :

(i) Whole Milk Powder

(ii) Skimmed Milk Powder

(iii) Infant Milk Food

(iv) Condensed Milk (Sweetened and Un Sweetened) :

(v) Cottage Cheese (Paneer)

(vi) Desi ghee, butter, Butter oil, (by whatever name called).

(vii) Khoya and rubree.

(viii) Casein.

(ix) Sweets made by use of milk or derivatives if milk.

3. **Prohibition on conversion of milk into milk product and sale, service of milk products and ban on the export of milk:**

(a) No person shall use milk for the manufacture of any milk product.

(b) No person shall export or cause to be exported milk and milk product.

(c) No person shall, serve or supply or cause to be sold, served or supplied or purpose for sale, service or supply Khoya, Paneer and sweets made by the use of milk or derivatives of milk.

Provided that nothing in this clause shall apply to the use of milk :

(i) For the manufacture, sale, service or supply of ice-cream, kulfi or any other article, in the preparation of which no khoya and/or rubree is used;

(ii) For the manufacture, sale, service or supply of such milk product and export of milk for the needs of the Defence Forces, the Delhi milk scheme, the Mother Dairy, New Delhi and the registered Cooperative Societies/unions/ Government Dairy Plants for maintaining liquid milk supply;

(iii) For the manufacture, sale, service or export of Khoya and/or rubree or any other milk product on such occasions and subject to such terms and conditions as the Controlling Officers may, by order, specify;

(iv) For production of Skimmed Milk Powder, Whole Milk Powder, and Infant Milk Food to the level of 50% of actual average of daily production during the period 1—30th April, 97 and White Butter as a by-product in the process of manufacture of these milk products, for recombination into liquid milk.

4. **Powers of entry search and seizure :**

(1) The controlling officer or any Magistrate or any Police Officer not below the rank of Assistant Sub Inspector or any officer of the Food and Supplies Department not below the rank of Asstt. Inspector or any Revenue Officer not below the rank of Naib Tehsildar of the government of Madhya Pradesh specially authorised by the Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs of the Government of Madhya Pradesh or any other Officer authorised in this behalf by the Controlling Officer may, with a view to securing compliance with this order or to satisfy himself that this order is being complied with

(a) Stop and search any person or any boat, motor or any other vehicle or any receptacle or any machinery used or intended to be used for export of milk or for manufacture of milk product.

(b) Require any person to give any information and to produce books of account or other documents showing transaction relating to milk or milk product and seize any such books of account or documents which in his opinion would would be relevant to any proceedings under this order;

(c) Seize any milk or milk product in any place or premises together with packages, coverings, receptacles or machinery in which milk or milk product is found or with which such milk product is manufactured, or the animals, vehicles, vessels, boats or other conveyances used in carrying milk or milk product and thereafter take all measures

necessary through a "superdar" or otherwise for securing the production of the packages, coverings, receptacles or machinery so seized in court and for their safe custody pending such production.

The provisions of Section 100 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, as far as may be apply to searches and seizure under this order.

5. Power of controlling officer :

The controlling officer may pass such interim order as the considers necessary regarding utilization of milk or milk product seized to maintain the supply of milk in the state of Madhya Pradesh.

[F. No. 9-10/97-DP]

PAVAN RAINA, CONTROLLER, M&MPO and Jt. Secy. (DD)

1253-GI/97-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1997